

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय  
मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)  
समस्तीपुर

कार्यालय आदेश संख्या - 468/NG/2020/Engg/SPJ

श्री जितेन्द्र कुमार, पुत्र श्री कपिलदेय राय, ट्रैकमेन्टेनर, जीपी- 1800, लेवल-01, अधीन सिसेई/P.WAY/AUB, कटिहार मंडल एवं श्री सुशील कुमार, पुत्र श्री राजवंशी चौधरी, ट्रैकमेन्टेनर-IV, जीपी- 1800, लेवल-01 अधीन सिसेई(पीवे)/सगौली/पूमरे/समस्तीपुर, इस मंडल के पत्र सं0-का/283/अन्तर मंडल रेल-अभि0/दर0/सम0 Dated 05.03.2019 तथा कटिहार मंडल के पत्र सं0- E /283 /EE /Ways /IRMT, दिनांक 04.09.2019 के द्वारा अन्तर रेलवे पारस्परिक स्थानान्तरण स्वीकृत है।


श्री जितेन्द्र कुमार, कटिहार मंडल के कार्यालय आदेश संख्या:- 306/2020 दिनांक-15.09.2020 एवं पृष्ठांकन सं.-E/283/EE/Way/KIR/NOC/IRMT/Pt.III Dated 15.09.2020 द्वारा विरमित होकर इस कार्यालय में पदस्थापना हेतु दिनांक 18.09.2020 को रिपोर्ट किये हैं, को ट्रैकमेन्टेनर-IV के पद पर सिसेई(पीवे) सगौली के अधीन पदस्थापित किया जाता है। कर्मचारी दिनांक 18.09.2020 से 20.09.2020 तक प्रतिक्षारत अवधि तथा दिनांक-21.09.2020 को अनुपस्थित एवं दिनांक-22.09.2020 से कार्यालय आदेश जारी होने की तिथि तक प्रतीक्षारत रहे है।

उक्त स्थानान्तरण पारस्परिक अनुरोध पर है अतः इन्हें स्थानान्तरण पर मिलने वाली कोई भी सुविधा देय नहीं है।

श्री सुशील कुमार, श्री राजवंशी चौधरी, ट्रैकमेन्टेनर-IV, जीपी- 1800, लेवल-01 अधीन सिसेई(पीवे)/सगौली/पूमरे/समस्तीपुर मंडल को इस कार्यालय के पत्र सं.-का/283/अन्तर मंडल रेल-अभि0/दर0/सम0 Dated 20.01.2020 को कटिहार मंडल हेतु विरमित किया जा चुका है।

यह सक्षम अधिकारी द्वारा आदेशित है।

श्री जितेन्द्र कुमार का फोटो, हस्ताक्षर एवं बांये अंगूठे का निशान अधोहस्ताक्षरी द्वारा अभिप्रमाणित है।



(आर. आर. लकड़ा)  
मंडल कार्मिक अधिकारी  
कृते मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)  
समस्तीपुर

सं0- सं0-का/283/अन्तर मंडल रेल-अभि0/दर0/सम0

दिनांक 22.09.2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मरेप्र/प्रबंधक/कटिहार/पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे, पिन न0-854105
2. वमई(समन्वय)/समस्तीपुर।
3. वमविप्र./समस्तीपुर।
4. समई/बापूधाम मोतिहारी।
5. सिसेई(पीवे)/सगौली कृपया कर्मचारी का योगदान देने संबंधी सूचना इस कार्यालय को दे।
6. मुकार्याधी/इंजी0 संवर्ग- कृपया उक्त कर्मचारी का अन्य आवश्यक कारवाई सुनिश्चित करे।
7. मुकार्याधी/इंजी0 बिल
8. मंडल मंत्री/ईसीआरकेयू, ओबीसी एवं अजा-अजजा एशो0/सम0 मंडल।
9. संबंधित कर्मचारी- सिसेई(पीवे)/सगौली के यहाँ रिपोर्ट करे।
10. अभिलेख हेतु।

कृते मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)  
समस्तीपुर  
मंडल कार्मिक अधिकारी  
पूर्व मध्य रेल/समस्तीपुर